राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः–प.172/मुसप्र/संपदा प्र./नीति निर्णय/2016/1013 दिनांक :–16/02/17

परिपत्र

दिनांक 12..01.2011 को संपदा प्रबंधन से संबंधित बिन्दुओं पर तत्कालीन अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिए गए निर्णयानुसार सभी वृत्त/खण्ड कार्यालयों को विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में परिपत्र कमांक प. 172/मुसप्र/संपदा प./नीति निर्णय/2011/243 दिनांक 23.05.2011 जारी कर अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त आवेदक/आवंटियों को भिजवाए जाने वाले महत्वपूर्ण पत्रों को रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाने तथा रजिस्टर्ड ए.डी. की रसीद व प्राप्ति रसीद की छाया प्रति संबंधित आवेदक/आवंटियों की पत्रावली में लगाया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु कतिपय प्रकरणों में वृत्त/खण्ड़ कार्यालयों द्वारा उक्त निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि मंडल द्वारा भिजवाए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण पत्रों को यथा आवास संबंधी प्रकरण एवं निविदा संबंधित प्रकरणों में रजिस्टर्ड ए.डी./स्पीड़ पोस्ट से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें तथा इसकी रसीद/प्राप्ति रसीद को संबंधित पत्रावली में संधारित रखेंगे, ताकि किसी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में रजिस्टर्ड ए.डी./स्पीड़ पोस्ट से भिजवाया गया पत्र की ट्रेकिंग की जाकर साक्ष्य हेतु सूचना प्राप्त की जा सके। साथ ही पत्रावली पर टिप्पणी लिखते वक्त उक्त रजि./स्पीड पोस्ट का ट्रेक्रिंग न. का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जा सके।

इसके साथ ही माननीय न्यायालयों में लम्बित वाद में निर्णय पारित हो जाने के पश्चात् निर्णय की प्रति मुख्यालय के विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि पारित निर्णय पर मुख्यालय स्तर से गुण–अवगुण के आधार पर निर्णय लेते हुए वृत्त/खण्ड़ कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु सूचित किया जा सके। इस आदेश की उपेक्षा करने पर पारित निर्णय से यदि मंडल को कोई वित्तीय हानि होती है तो उसकी वसूली संबंधित अधिकारी से की जाएगी।

उपरोक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। परिपत्र का कड़ाई से पालन किया जावे।

29.11.16
(विश्व मोहन शर्मा)
मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्त्यीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु.), प्रथम/द्वितीय/निदेशक(विधि)/ मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर
5. मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त वृत्त..............राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि परिपत्र की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
8. रक्षित पत्रावली।

29.11.16
मुख्य सम्पदा प्रबंधक